फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

वान ..... बीरबल वगैरा ..... वनाम ..... भूमिधारी .....

म मुकदमा ..... दावा ..... मुकदमा नं० ..... 128 ..... सन् 2020

रेख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	30-09-2020 वकील वादीगण/वादी श्री ..... भजनाराम ..... ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया । दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण की तलवी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनाँक 15/10/2020 ..... को पेश हो।	451 30-9-2020

15/10/2020 पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी उपस्थित । अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होकर लौटी है । बावजूद सम्यक तामील के उनकी ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया है । अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ली जाती है । प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई । दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष निर्णय फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली एवम् पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि दस्तावेजात प्रस्तुत किए । सरपंच ग्राम पंचायत गोकुल का बास द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया । दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर सगौर मनन किया गया। उक्त समस्त दस्तावेजों से वादीगण के पिता/पति का वास्तविक नाम सोनाराम होना प्रमाणित होता है। अतः वादी-वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि-

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

आदेश

तन ग्राम फतेहपुरा ओमियान पटवार हल्का गोकुल-वास, तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) में अवस्थित भूमि खसरा नं. 181 में वादीगण के पिता/पति का दर्ज बोलता नाम सोहनलाल के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "सोनाराम" तथा भूमि खसरा नम्बर 179 में वादीगण के पिता/पति का दर्ज बोलता नाम मोहन पुत्र सुखदेव के स्थान पर "सोनाराम पुत्र सुखदेव" दुरूस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद हो एवं तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री मुरत्तीब जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद आवश्यक कार्यवाही शामिल फैसल रिकार्ड हो। यह निर्णय आज दिनांक 15/10/2020 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालय मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/X/2020

(राकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला, सीकर

Scanned by CamScanner